न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

विद्युत अपील वाद संख्या–52/2014

मे0 कमला न्यूट्रीशन प्रोसेसिंग प्रा0 लि0

बनाम

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कं0लि0 वगैरह

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
23/10/18	**आदेश** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–127 के अन्तर्गत यह अपील विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, पटना सिटी के दिनांक–16.12.2013 के Final assessment Order के विरूद्ध दायर की गयी है। **अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि** 1. अपीलार्थी कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निबंधित एक फर्म है जिनके द्वारा आटा, मैदा, सूजी का उत्पादन किया जाता है। अपीलार्थी के द्वारा कन्ज्यूमर नं0 HT 285552 के अन्तर्गत 100 KVA का विद्युत कनेक्शन लिया गया था। 2. अपीलार्थी के विद्युत मीटर की जांच दिनांक–22.09.2010 को की गयी थी, जिसमें मीटर से छेड़–छाड़ का कोई प्रमाण नहीं पाया गया। यह तथ्य दिनांक–22.09.2010 के प्रतिवेदन में अंकित है। पुनः दिनांक–26.03.11 को भी मीटर की रीडिंग ली गयी। उस दिन भी मीटर एवं उसकी सील में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं पायी गयी। 3. दिनांक–22.08.2011 को विद्युत विभाग के पदाधिकारियों एवं पुलिस टीम के द्वारा अपीलार्थी के परिसर में छापेमारी की गयी। छापेमारी दल के द्वारा यह आरोप लगाते हुए कि तीना ऑटो ट्रांसफर्मर से तार निकाल कर मीटर टर्मिनल में लगा पाया गया तथा वहाँ उपस्थित एक व्यक्ति रोहित कुमार के पास डुप्लीकेट सील भी पायी गयी, माल सलामी थाना में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–135/138 अन्तर्गत प्राथमिकी थाना काण्ड सं0 119/2011 दर्ज कर दी गयी। दर्ज प्राथमिकी में विद्युत चोरी से 45,67,424/– (पैंतालीस लाख सड़सठ हजार चार सौ चौबीस) रूपये के क्षति की बात कही गयी। 4. अपीलार्थी के द्वारा 45,67,424/– (पैंतालीस लाख सड़सठ हजार चार सौ चौबीस) की उक्त पेनाल्टी के विरूद्ध उच्च न्यायालय, पटना में CWJC सं0–15492/2011 दायर की गयी। CWJC सं0–15492/2011 में दिनांक–26.09.2011 को आदेश पारित करते हुए, पेनाल्टी राशि का 40 प्रतिशत जमा करने तथा अपीलार्थी का विद्युत कनेक्शन बहाल करने का आदेश दिया गया। आदेश में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी उक्त	

पेनाल्टी के विरूद्ध सक्षम प्राधिकार के समक्ष आपति दायर कर सकते है।

5. अपीलार्थी के द्वारा दायर की गयी आपति को दर किनार करते हुए दिनांक–30.08.2011 को औपबंधिक Assessment Order निर्गत किया गया। उक्त औपबंधिक Assessment Order के विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा CWJC सं0–17859/2013 दायर की गयी। CWJC सं0–17859/2013 में दिनांक–07.10.2013 को आदेश पारित करते हुए औपबंधिक Assessment Order को निरस्त कर दिया गया तथा वाद को रिमाण्ड करते हुए Assessing Authority को अपीलार्थी की आपति पर सुनवाई कर पुनः विधि सम्मत एवं तथ्य परक आदेश पारित करने को कहा गया।

6. अपीलार्थी के द्वारा विस्तृत आपति दाखिल की गयी, परन्तु Assessing Officer के द्वारा आपतियों को अस्वीकृत करते हुए, दिनांक–16.12.2013 को पुनः 45,62,774/– (पैंतालीस लाख बासठ हजार सात सौ चौहतर) रूपये का Final assessment Order पारित किया गया।

7. Assessing Officer के द्वारा 365 दिनों की गणना के आधार पर पेनाल्टी निर्धारित की गयी है, जबकि दिनांक–22.09.2010 एवं 26.03.11 को निरीक्षण के दौरान मीटर में किसी प्रकार की छेड़–छाड़ नहीं पायी गयी, अतः पेनाल्टी की गणना दिनांक–26.03.11 से दिनांक–22.08.11 की अवधि के आधार पर की जानी चाहिए।

8. अपीलार्थी के द्वारा अपने दावा के पक्ष में CWJC No 11492/2009 मे0 श्री राम वायर बनाम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में दिनांक–02.08.13 एवं C.W.J.C No 20548/2009 मे0 हाजीपुर फ्लौर मिल्स बनाम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में दिनांक–07.03.2011 को पारित आदेश की प्रति दाखिल की गयी है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी प्रमंडल सह Assessing Officer के द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि

(1) छापेमारी दल के द्वारा दिनांक–22.08.2011 को प्रातः 9 बजे अपीलार्थी के परिसर में छापेमारी की गयी। मीटर रूम में मीटर के साथ तीन आऊटो ट्रान्सफर्मर को जुड़ा पाया गया। वहाँ रोहित कुमार को आऊटो ट्रान्सफर्मर का तार हटाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। यह विद्युत चोरी का मामला था, जिसके लिए विद्युत अधिनियम की धारा–135 के अन्तर्गत माल सलामी थाना में प्राथमिकी सं0 119/2011 दिनांक–22.08.2011 दर्ज करायी गयी। उस समय विद्युत चोरी से हुयी क्षति का आकलन 45,67,424/– (पैंतालीस लाख सड़सठ हजार चार सौ चौबीस) रूपये किया गया।

(2) अपीलार्थी के द्वारा पेनाल्टी की राशि के विरूद्ध C.W.J.C No 15492/2011 दायर किया गया, जो इस आदेश के साथ निष्पादित किया गया कि अपीलार्थी सक्षम प्राधिकार के समक्ष आपति दायर कर सकते हैं।

साथ ही पेनाल्टी का 40 प्रतिशत तीन किस्तों में जमा करने का निदेश दिया गया। पहली किस्त जमा करने पर विद्युत कनेक्शन चालू कर दिया गया।

(3) अपीलार्थी के द्वारा कोई आपति दाखिल नहीं की गयी, तब Assessing Officer के द्वारा Assessment Order निर्गत करते हुए शेष 60 प्रतिशत राशि जमा करने का निर्देश अपीलार्थी को दिया गया।

(4) अपीलार्थी के द्वारा उक्त Assessment Order के विरूद्ध C.W.J.C No.-17859/2013 के द्वारा चैलेंज किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा assessment order को निरस्त करते हुए अपीलार्थी की आपति की सुनवाई कर पुनः Speaking Order पारित करने का निदेश दिया गया। तदनुसार अपीलार्थी के द्वारा आपति दायर की गयी एवं Assessing Officer के द्वारा आपति का बिन्दुवार निष्पादन करते हुए दिनांक–16.12.2013 को Speaking Order पारित किया गया।

(5) अपीलार्थी के द्वारा पेनाल्टी की गणना 365 दिन के आधार पर किये जाने पर आपति की गयी थी। सप्लाई कोड 2007 के अन्तर्गत D का आशय अनाधिकृत रूप से विद्युत उपयोग के दिनों की संख्या होता है, परन्तु जब अनाधिकृत रूप से विद्युत उपयोग के दिनों की संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सके तो कुल 365 दिनों के आधार पर गणना करने का प्रावधान है। प्रश्नगत मामले में अपीलार्थी के द्वारा आऊटो ट्रान्सफर्मरों का उपयोग किया जा रहा था, जिस कारण विद्युत मीटर में कोई प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित नहीं हो रहा था, परन्तु विद्युत की चोरी की जा रही थी। अपीलार्थी के द्वारा आऊटो ट्रान्सफर्मरों का उपयोग पिछले कितने दिनों से किया जा रहा था, इसकी जानकारी नहीं होने की स्थिति में प्रावधान के अनुरूप 365 दिनों के आधार पर पेनाल्टी की गणना की गयी।

(6) अपीलार्थी के द्वारा सप्लाई कोड के नियम 9.15 की बात भी उठायी गयी थी। सामान्य परिस्थिति में मीटर रीडर के द्वारा मीटर की रीडिंग एवं उसकी भौतिक स्थिति की जानकारी ली जाती है। मीटर रीडर के निरीक्षण के दौरान मीटर रीडर के द्वारा किसी प्रकार का बाहरी यंत्र मीटर से जुड़ा नहीं पाया गया तो उसके द्वारा मीटर से छेड़–छाड़ संबंधी प्रतिवेदन नहीं दिया गया। छापेमारी दल के द्वारा छापेमारी के दौरान मीटर टर्मिनल से आऊटो ट्रान्सफर्मर जुड़े हुए पाये गये। एक तकनीकि व्यक्ति डुप्लीकेट सील के साथ मौके पर मौजुद पाया गया। इससे यह प्रमाणित होता है कि सामान्य दिनों में मीटर रीडिंग से पूर्व अपीलार्थी के द्वारा बाहरी यंत्रों/गजटों को हटा लिया जाता था, जिस कारण मीटर रीडर को किसी प्रकार की अनियमितता नहीं दिखती थी। अपीलार्थी के द्वारा इस प्रकार विद्युत चोरी कब से की जा रही थी, यह सुनिश्चित नहीं हो पाने की स्थिति में 365 दिनों के आधार पर गणना की गयी है।

(7) अपीलार्थी के द्वारा उच्च न्यायालय, पटना एवं अपीलीय प्राधिकार के आदेशों का हवाला दिया गया है। यह आदेश Innocent एवं

Loyal कन्जयूमर से संबंधित है, परन्तु इस वाद के अपीलार्थी के द्वारा बड़े पैमाने पर सुनोयाजित ढंग से विद्युत की चोरी की जा रही थी। अतः माननीय उच्च न्यायालय एवं अपीलीय प्राधिकार के उक्त आदेश अपीलार्थी के मामलें में लागू नहीं हो सकते।

(8) विद्युत चोरी का यह मामला विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–154 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय में विचाराधीन है। विद्युत चोरी के मामले में विशेष न्यायालय को ही निर्णय लेने का प्राधिकार है। प्रश्नगत मामले में assesment के बिन्दु पर अपीलीय अधिकार के द्वारा किसी प्रकार का आदेश दिया जाना विधि सम्मत नहीं होगा।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात निम्न तथ्य सामने आते है।

1. यह मामला विद्युत मीटर की सील में मात्र छेड–छाड़ से संबंधित नहीं है, बल्कि विद्युत मीटर टर्मिनल से बाहय यंत्र जोड़कर विद्युत चोरी का है। इस प्रकार से विद्युत चोरी करते हुए छापेमारी दल के द्वारा एक व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा वहाँ उपस्थित व्यक्ति को जेल भेजा गया।

2. विपक्षी की तरफ से अपीलार्थी मे0 कमला न्यूट्रीशन प्रोसेसिंग प्रा0 लि0 के द्वारा विद्युत खपत का विवरण उपलब्ध कराया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मीटर सीज किए जाने के पूर्व अगस्त 2010 से जुलाई 2011 के बीच अपीलार्थी के द्वारा प्रति माह औसतन 14075.50 यूनिट बिजली की खपत की जाती थी। दिनांक–24.10.2011 को पुनः नया कनेक्शन दिये जाने के पश्चात माह नवम्बर, 2011 से जुलाई 2012 के बीच औसतन 48464.78 यूनिट मासिक बिजली का उपयोग पाया गया।

इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की औसतन मासिक बिजली खपत 48464.78 यूनिट है। छापेमारी से पूर्व अपीलार्थी के द्वारा अन्य तरीकों से बिजली चोरी किये जाने के कारण मीटर रीडिंग के आधार पर औसतन मासिक बिजली खपत 14075.70 यूनिट थी।

इस परिस्थिति में अपीलार्थी का यह दावा मान्य नहीं हो सकता है कि दिनों की गणना पिछली मीटर रीडिंग की तिथि 26.03.2011 से की जानी चाहिए।

3. प्रश्नगत मामला विशेष न्यायालय में विचाराधीन है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 154 की उप धारा 5 के तहत विद्युत चोरी के मामले में Civil Liability का निर्धारण विशेष न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थिति में सम्यक विचारोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अपील विचार योग्य नहीं है। अपील अस्वीकृत की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

23/10/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

23/10/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना